

रजि० नं० एल. डब्तू. /एन. पी. 890 लाइसेन्स नं० डब्तू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

रखनऊ, शुक्रवार, 18 मार्च, 2005

फाल्गुन 27, 1926 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग—1

व्या *426/*मात-वि.1—1(क)-12-

संख्या 426/सात-वि-1—1(क)-12-2005 लखनऊ, 18 मार्च, 2005

अधिसूचना विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 17 मार्च, 2005 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर ग्देश अधिनियम संख्या 6 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2005)

ं नैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 को निरसित करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2005 कहा संक्षित नाम और जायेगा।

(2) यह 01 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2— उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 एतद्द्वारा निरसित किया उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960 का निरसन

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश में वक्फों के कतिपय खण्डों के श्रेष्ठतर शासन, प्रशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960) अधिनियमित किया गया है।

चूँिक उक्त अधिनियम, वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1996) की धारा 112 की उपधारा (3) के उपबंधों के प्रकाश में प्रवर्तित नहीं रह गया है और 01 जनवरी, 1996 (उक्त केन्द्रीय अधिनियम, 1996 के प्रारम्भ के दिनांक) से अनायश्यक हो गया है, अतएव वर्ष 1960 के उक्त अधिनियम को निरसित किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2005 प्रःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, धर्म वीर शर्मा, प्रमुख सचिव।

No. 426/VII-V-1—1(Ka)-12-2005 Dated Lucknow, March 18, 2005

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Muslim Waqf (Nirsan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Şankhya 6 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 17, 2005.

THE UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS (REPEAL) ACT, 2005

(U.P. ACT NO. 6 OF 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

ΑN

ACT.

to repeal the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement A

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Repeal) Act, 2005.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on January 1, 1996.

Repeal of U.P. Act no. 16 of 1960 2. The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960 (U.P. Act. no. XVI of 1960) has been enacted to provide for better governance, administration and supervision of certain classes of waqfs in Uttar Pradesh.

Since the said Act has ceased to operate in the light of the provisions of sub-section (3) of section 112 of the Waqf Act, 1995 (Act no. 43 of 1996) and has become redundant with effect from January 01, 1996 (the date of commencement of the said central Act of 1996), it has been decided to repeal the said Act of 1960.

The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Repeal) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,

D. V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 968 राजपत्र(हि०)—2005—(2418)—597—(कम्यूटर/आफसेट)। पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 299 सा०विधा०—2005—(2419)—850—(कम्यूटर/आफसेट)।